

मध्य प्रदेश संरक्षित वन ननयम, 1950

- 1.नियम 1
- 2.नियम 2
- 3.नियम 3
- 4.नियम 4
- 5.नियम 5
- 6.नियम 6
- 7.नियम 7
- 8.नियम 8
- 9.नियम 9
- 10.नियम 10
- 11.नियम 11
- 12.नियम 12

मध्य प्रदेश संरक्षित वन ननयम, 1950

(धारा 32 एवं 76 के अन्तर्गत)

अधिसूचाक्र 8476-8414-X-60 दि० 2-9-60 [मध्यप्रिंशराजपत्रभाग (4) (सामान्य) पृष्ठ 893 दि० 2-9-60 पर प्रकाशित]

भारतीय विनियम 1927 (क्र० 16 वर्ष 1927) की धारा 32 एवं 76 के खण्ड (ड) द्वारा प्रित्त शक्त तयों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस वर्य पर पूवष में बायेस भी नियमों को समाप्त करते हुए राज्यासिए ति द्वारा संरक्षित वनों के शलये निम्निलखित नियम बिता है -

ननयम

1. संक्षिप्त नाम -

इस नियम का संक्षिप्ति नाम म.प्र. संरक्षित वन नियम 1950 होगा। इस नियम में जब तक कोई बात वर्य या सन्धि भष के ववरुद्धि हो-

(क) "अधधननयम" सेता तपयष भारतीय विनियम, 1927 (1927 का 16) से है। (ख) "कृक"

सेता तपयष उस वक्त से है जो खुकिा शत करे या जो सामान्यतः स्वतः का शत

करता हो कजसमें कृषि मजूर एवं ग्रामीण शालपी सक्म शलत है :

(ग) "सारांशीकरण" सेता तपयष संरक्षित वन विशेष सर्ष समुधत मात्रा में निस्तार या पैवार

सद्भाव पूणष घर उपयोग या उपजीवका कायष के शलये कन्तु वस्तु वन नियम, ववक्रय या

िरुपयोग के शलये हो, प्राप्त करिकी सुवविके बिले में निक्शतरा शश पूरे वर्ष में एक बार से है।

(घ) "अनुज्ञप्त" सेता तपयष इन नियमों के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रित्त भिज्ञप्त

से है-

(ड) "ननस्तार" के अर्ष में निम्निलखित सक्म शलत है-

(1) काशतकारी औजारों, यिये मकाओं के निमाषण,

मकाओं की मरम्मत और काशतकारों के मवेशी को ठाके शलये आरक्षित वृं या इस सम्बन्ध में ववशेरूप से स्वीकृत रक्षित वृं की इमारती लकड़ी।

(2) सूखी धगरी लकड़ी जो इमारती लकड़ी के उपयुत ति हो।

(3) सूखे बाँस व हरे बाँस जहाँ ववशेरूप से बताये हों।

(4) रूमा, खसया सवाई घास को छोड कर घास।

(5) खैर एवं ब्रश बुड को छोड कर काटे।

(6) तेन्तू पत्ता छोड कर पत्ते।

(7) अरक्षित झाड़ों की छाल या वल्कल।

(8) और सतही बोल्डर, मुरुम, रेत, छुई शमटटी और धचकी शमटटी।

(च) "पैवार" का अर्ष एवं उसमें सक्म शलत है समस्त खांयोग जडें, लए वंरूल, कुल्लू

वृके गों को छोड कर प्राकृतिक रूप से निकला गों, मोम व शहि।

(छ) उपजीवका निरस्त सेता तपयष है जीव को पाजषिके शलये कसी निंके को चलांके शलये

आवश्यकनिरस्तसेहै।

(ज) 'पास' इनियमोंके अंतगषतयातरसमयप्रभावशीलकोई अन्यववधि, नियमिओशके अंतगषतप्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया पास कजसमें सारांशीकरण पास भी सक्मम शलत है

2.

इसमें इसके पश्चात्त्रियमोंके उपबन्धोंके अधीन रहते हुए ग्रामयाग्रामोंमें रहिवाले या जमीन पर नगर करिवाले कृकोंको तत्समयप्रभावशील नियमया आदेशके अनुसार, कजस संरक्षित विसेवे सम्बद्धिक कये गये हों, उस संरक्षित विसेविकी आवश्यकता अनुसार निस्तार मुफ्तमें या रकम पटाकर प्राप्त करिकी अमनती जावेगी।

स्पष्टीकरण---(1)

अशभव्यक्त निस्तार आवश्यकता या पैवार आवश्यकता से तात्पर्य निस्तार अवधि पैवार का सद्भावपूण घरु उपयोगके शलये आवश्यकता है और शि, वस्तुवनिमयवक्रय, नियाषतिरुप्रयोगिही है।

(2)

उपनियम

(1)

के अन्तगषतस्वीकृत निस्तार एवं पैवार आवश्यकता की मात्रा प्रत्येक व्यक्त की वास्तविक आवश्यकता एवं निस्तार सामग्री की उपलब्धता के अधीन होगी। जहां कुल आवश्यकता से कम निस्तार सामग्री उपलब्ध होगी, वहां निस्तार सामग्री को साम्यरूप से युक्त तसंगतरूप से वतरत ककया जावेगा।

(3-अ)

विमण्डलाधिकारी समय-

समयपरित्रनिष्पन्न करेगे कजसमें से प्रत्येक वर्ष निस्तार प्राप्त ककया जावेगा और ग्रामीण के वलउसी क्षेत्र से अपि निस्तार प्राप्त करेगे।

(ब)

विमण्डलाधिकारी समय-समयपर उपजीवकानिस्तारके उपयोगके शलये समुधचत क्षेत्र, ववनिदिष्ट एवं सुरक्षित करेगे एवं नियम (2) के अन्तगषत कृकोंकी 'निस्तार' एवं पैवार की आवश्यकताओं की पूनतषके बाधितोह उपलब्धता के अन्तगषत शर्मात्रा इसहेतु निश्चित करेगे।

(4-अ) कलेतटर समय-

समयपर विमण्डलाधिकारी की सलाह से एवं तत्समयप्रभावशील नियम एवं आदेशोंके अनुसार ग्रामोंको ववनिदिष्ट करेगा, जहां कि निवासियोंको उनके निस्तारवधि पैवार की आवश्यकता सारांशीकरण शुल्क पटाकर प्राप्त करिकी अमनती जावेगी।

(ब)

उपनियम (अ) के अधीन रहते हुए सारांशीकरण उन्हीं ग्रामीणोंको स्वीकृत की जावेगी जो तत्समयप्रभावशील नियमया आदेशके अनुसार सारांशीकरण शुल्क पटाकर सारांशीकरण पास प्राप्त करलेगा।

(5-अ)

कोई भी व्यक्त तब बिपास या ववधिवत् अज्ञप्तके, संरक्षित विसेवों से अपि निस्तार आवश्यकता प्राप्तिही कर सकेगा जब तक कक इस सम्बन्धमें विमण्डलाधिकारी के ववशशष्टया सामान्य शलखत आदेशों द्वारा छूट प्राप्ति हो।

(ब)

विमण्डलाधिकारी पासोंके ववतरण कानियंत्रण करेगा।

(स)

जब तक उपनियम (1) के अन्तगषत विमण्डलाधिकारी द्वारा छूट प्राप्ति हो, प्रत्येक व्यक्त अपि सारि निस्तार पास या वैज्ञप्त खर निस्तार लेके शलये संरक्षित विसेवोंमें प्रवेश करेगा और इनियमोंके अनुसार निस्तार प्राप्त करेगा।

3. संरक्षित वनों का दोहन ननम्र शतो के अधधीन होरा-

(अ-1)

ककसी वृत्तिके चारों ओर काट करि राही बिाया जावेगा या कार्ी ऊपर से काट कर मुण्डा ही ककया जावेगा उसकी डालें ही काटी जावेंगी।

(अ-2)

गोयारालके संग्रहणके उद्देश्य से ककसी वृत्तिमें घाविही ककये जावेंगे।

(3)

ककसी वृत्तिको उखाड़ा, जलाया या अन्य ककसी प्रकार से कुसा ही पहुँचाया जावेगा।

(4)

धगरा के शलये ववशेरूप से धक्कत या विमण्डलाधिकारी के सामान्य आदेश से काटिया हटा के शलये स्वीकृत वृत्तिके शसवा कोई वृत्तिका ही जावेगा।

(5)

कोई भी वृत्ति जो छाती ऊँचाई (चिचे से 135 से०मी०) पर 9 इंच या 22.5 से०मी० से कम हो, ही काटे जावेंगे।

- (6) (अ) समस्तकाटिवालेवृंकोंकोयर्-सम्भवभूशमकेसंलग्सेकाटेजावेंगे।
 (ब) वृंकोंकीजड़ोंकोंिकुसांिहीपहुँचायाजावेगा।केवलपलासकीजड़कोरस्सीके शलयेखोिंजासकताहैककन्तुककसीभीिशामेंजड़केएकनतहाईभागसेअधिक जड़काभागिहीनिकालाजावेगा, ताककशेर्जड़सेवृंजीववतरहसके।(स)
 निम्शिलखखतनियमोंकेअधीरिहतेहुएकेवलकोहावृंकीछालकोवि मण्डलाधिकारीकीशलखखतस्वीकृतनतसेनिकालाजासकताहै।इसकेअनतररतत अन्यककसीवृंकीछालिहीनिकालीजावेगी-

- (स-1) छातीऊँचाई (जमींसे 135 सेमी०ऊपर) पर 3-6" या (105 सेमी०)सेअधिकमोटाईवालेवृंकोंकेतिकेपूवीभागकाहीछाल,
 ववशेर्प्रकारकेछालनिकालिवालेहधर्यारसेनिकालीजावेगी।छालउतारीिहींजावेगीबक्क 5
 सेमी०से2.5
 सेमी०केचौखािमेंछालनिकालीजावेगीतर्वावृंकीअन्िरूिीसतहकोहानििहींपहुँचाईजावे
 गी।छालनिकालिकीलाइिंकेबीच 5 सेमी०की्ररीरखीजावेगी।

(स-2) छालजिवरीएवंजूकेमध्यहीनिकालीजावेगी।

- (3) वृंसेएकसालछालनिकालिकेबांिीसालतकपुि: उससेछालिहींउतारी जावेगी।

- (1)ऐसीछालभरतीगाड़ी 5(पाँचरुपये) ररयायतीरपरयासमय-समयपरराज्यशासि
 द्वारानिंषररतिरसेीजावेगी।

(ि) बांसनिम्शितोंकेअधीिकाटाजावेगा-

- (1) बांसकेकूपोंकाकटाईकाक्रम 4 वर्षहोगी।वावर्षककटाईकेकूपको 4
 संभागोंमेंववभाकजतककयाजावेगातर्बाँसकीकटाईक्रमािुसारसंभागवारकीजावेगीअर्षत्सेत
 शि "िो" मेंकटाईजबतकिहींकीजावेगीजबतकसेतशि "एक"
 मेंकटाईकाकायषनियमािुसारसन्तोर्प्रिंदंगसेपूणषिहोजावे।
 (2) प्रम्वर्षकाअपररपतवबांस "करला" यागयेवर्षबांस "मदहला" िहींकाटाजावेगा
 (3) बांसकीजड़िहींखोिीजावेगी।
 (4) ऐसेबाँसकेशभरेमें, कजसमेंकरलावमदहलासदहत, िसबांससेकमहो, कटाई
 िहींकीजावेगी।
 (2)ऐसेबाँसशभरेमेंकजसमें 10सेअधिकबाँसहों, (उिबांसोंकोछोडकरजो 18"ृृ=45
 सेमी०सेकमऊँचाईपरटूटेहो)
 शेबाँसोंकोपूरेशभरेमेंसुसंगतरूपसेछोड़ाजावेगातर्छोड़ेगयेपकेबाँसोंकीसंख्या (मदहलाकोछोड़कर)
 उसशभरेमें "करला" बाँसकीसंख्याकीिुगुिीसेकमिहोगीबशते 10 जीवन्तबाँसशभरेमेंन्यूितमहै।

उदाहरण-ककमीबाँसकेशभरेमें 3 करला, 5 मदहलाएवं 9 अन्यपकेबाँसकुल 17 बाँसहैं

इसशभरेमें 3 करलाकेिुगुििअर्षत् 6
 पकेबाँसरोकेजािंाहैलेककियहसंख्या10सेकमहैअतः 7 पकेबाँसरोकेजावेंगेअर्षत्शभरेमें 3 करला, 5
 मदहलाएवं 7 पकेबाँसरोकेजाकशिपकेबाँसकाटेजावेंगे।

- (6) कटिवालेबांसकोजमींसेगठािऊपरकमसेकम 6" या 15 से. मी० अधिकतम 18" =45
 सेमी०केबीचमेंकाटिचादहये।

- (7) बाँसतेजिरवालेऔजारसेकाटाजावेगाताककबाँसकेएकठूठिर्ते।

- (8) बाँसकेबंडलगठठेबाँिििकेशलयेककसीभीिशामेंकरलावमदहलाबाँसिहीं काटाजावेगा।

(ई) खजूरकेवृंकोंसेरसनिकालिकीप्रकक्रयानिम्शितोंकेअीिकीजावेगी-

- (1) यदिकोईखजूरवृंभूशमसे, उगतीहुईडालीकेतलेतक 6"= 180 सेमी०से
 कमहोतोउसवृंसेरसनिकालिकीप्रकक्रयािहींकीजावेगी।

- (2) ककमीभीएकवर्षमें, वृंकेतिमेंएकस्ािपररसनिकालिकीप्रकक्रयाउगती डालीकेतलपर,
 कीजावेगी।

(3) वृंसेरसनिकालीकीप्रक्रयामेंआवश्यकरूपसेपत्तेहींकाटेजावेंगे, और छेड़िसप्रकारिककयेजावेंककवृंमरजावें।

(एर)(1) डिनियमोंकेप्राविोकेअध्यािीरहतेहुए, संरक्षितविकीलघुवि उपजविमण्डलाधिकारीद्वाराउसीप्रकारववक्रयकीजावेगी, कजसप्रकार आरक्षितविमेंकीजातीहै।

(2) सभीविउपज, विमण्डलाधिकारीकेप्राधिकारद्वाराप्रित्तपास, याडि नियमोंयातत्समयप्रभावशीलकसीववधिकेअन्तगषतविमण्डलाधिकारी केप्राधिकारकेजारीअुज्ञाकेअन्तगषतहीसंरक्षितविसेहटाईजावेगी।

(3) सूयाषस्तएवंसूयोिकेमध्यकोईभीविउपजहींलेजाईजावेगी।

(4) विमण्डलाधिकारीद्वाराइसनिशमतनिदिष्टिकेअनतररततअन्यैत्र में 'दिहया' या 'बेवर' कृवकोंअुमनतिहींीजावेगी।

4. विपजकोहटािेयाववनियोजतकरिकेशलयेपासयाअुज्ञािारीव्यक्तत, जिवहसंरक्षितविमेंउपरोततकायषकेसम्बन्मेंप्रवेशकरेतोअपिआधिपत्यमेंपासयाअुज्ञाअवश्यरखेगाऔरककसीविअधिकारीद्वारामांगेजािेपरप्रस्तुतकरेगा :

परन्तुऐसेव्यक्ततकेसम्बन्मेंयहनियमलागूहींहोगाकजसेअकालयासूखाकेसमयराज्यशासिद्वाराबबिपासवि-उपजलेजािेकीअुमनतिहो।

5. विसंरिकसमय-समयपरसंरक्षितविोंसेनिकालीजािेवालीप्रत्येकवि-उपजकेशलयेरिनििाषररतकरेगा।

6 (1)

संरक्षितविकेपांचककलोमीटरकेभीतरयदिकोईव्यक्ततजंगलयाघासजमीिकोआगलगाकरसार्करिचाहताहै, तोवहनिम्ननियमोंकापालिकरेगा।

(अ) कजसविधिकारीकेिेत्राधिकारमेंवहभूशमहो, उससेिजीकीवि-रिक, विपाल यापररित्रअधिकारीको, आगजलािेसेकमसेकमएकसप्ताहपूवषअपिइरािे कीसूचािेगा।

(ब) कजसैलकोजलािाचाहताहै, उससेसंरक्षितविकीओर (30 रुट) या 9 मीटर चौड़ीपटटीमेंइसप्रकारसर्ाईकरेगाककआगउसकेपारिरैलसके।

(स) जबतेजहवाचलरहीहो, आगिहींलगावेगा।

(2) आरक्षितविसेकमील (1.6 ककलोमीटर) केभीतरकीभूशमपरआगलगािेकाइच्छुकव्यक्ततलकड़ी, घासयाअन्यज्वलिशीलसामग्रीकोढेरोंमेंएकत्रकरेगाऔरइसेएककेबािेढेरोंकोऐसेजलावेगाकजससेआगिरैलेऔरसंरक्षितविकोिुकसाििपहुँचावे।

(3) ऐसाव्यक्तत,

जोसंरक्षितविमेंज्वलिशीलसामग्रीविपजजैसेघासयाबाँसएकबत्रतकरताहैयाऐसीविपजएकबत्रतकरिकाअुज्ञािारीव्यक्तत, संरक्षितबिसेउधचतूरीपर, जोविमण्डलाधिकारीके, सामान्ययाववशशष्टअिेशद्वारानििेशशतहो, उसेसूािमेंएकबत्रतकरेगा, तर्ाडिकोइसप्रकारअलगरखेगाककउमेलगिसेआगआस-पासिेत्रमेंिरैलेएवंसंरक्षितविकोखतरेमेंडाले।

(4) संरक्षितविकीसीमापर, याविकेभीतर, याबत्रयोंकोठहरिकेसूलोंको, विमण्डलाधिकारीद्वाराअलगककयाजावेगाऔरडिकोसार्करायाजायगातर्ाइसूलोंकीसूचीप्रनतवर्षप्रकाशशतकीजावेगीऔरऐसेशशववरसूलोंकेअनतररततसंरक्षितविकीसीमापरयाविमेंकहींभीआगिहींलगाईजावेगी। इिशशववरसूलोंकाउपभोगकरिवालेव्यक्तत, खािापकािेयाअन्य, कायषकेशलयेइसप्रकारआगजलावेंगेकजससेसंरक्षितवि, याशशववरसूलपरकस्तकोईभवियाअन्यसम्पवतकोआगसेिुकसाििपहुँचेतर्ाशशववरछोड़िकेपूवषसबज्वलिशीलपिर्षकोशशववरकेत्रमेंएकबत्रतकरेंगेतर्ासाविािीपूवषकपूरीआगबुझािेगे।

(5)

पदहलीविम्बरतरातीसजूिकेमध्ययाइससेपहलेयाबािकीनतधर्योंमेंजैसाविमण्डलाधिकारीविसंरिककीपूवषअुमनतसे, िारा 26 (ग)केअन्तगषतनििाषररतकरेंसंरक्षितविमेंयाउसकीसीमापरजलतीआगलेजािा, आगजलािा, यामशाललेजािावकजषतहोगा। शशववरसूलछोड़कर, संरक्षितविमेंउततअवधिमेंिूमपािभीवकजषतहोगा।

(6) कोईभीव्यक्ततसंरक्षितविमेंकोईआगिहींजलावेगा,

और कोई भी व्यक्ति संरक्षित वृक्षों के पास ऐसी आगि नहीं जलावेगा जो उससे वहाँ पड़ी हुई कंकरी लकड़ी या ारा 30 के अन्तर्गत घोंघों के वृक्षों को हानि पहुँचे।

(7) संरक्षित वृक्षों में कोई अधिकार का उपभोग करिवाला कोई व्यक्ति, निस्तार सुविविधता वाला व्यक्ति या संरक्षित वृक्षों में पशु चराई की सुविविधता उपभोग करिवाले व्यक्ति का कत्तब्य होगा कि संरक्षित वृक्षों या उसके पास आग लगि की जाकारी होने पर तत्कालिजी की 'विधिकारी' को सूचािगा और विधिकारी द्वारा अपेिा की गई होयािहीं।

- (i) ऐसी उतत आग को बुझािे, और
- (ii) ऐसे वृक्षों में पलगी आग को वृक्षों में भीतर रूँले से रोकि हेतु अपी पूष वैिनिक साििों के द्वारा रोकि का किम उठावेगा।

7. (1) कंकरी संरक्षित वृक्षों के आवंदत ग्रामों में निवास करिवाले कृक, या उसमें भूशमिरण करिवाले, या कृवर्श शल्पीयाम जिरों को तत्समय प्रभावशील नियम और आेशों के अनुसार उस संरक्षित वृक्षों में पशु चराई की अनुमति जावेगी :

परन्तु विमण्डलाधिकारी की स्वीकृत के अभाव में कोई भी व्यक्ति तदास बीड जलाऊ तर्ा चारे हेतु रक्षित त्रिपुरोत्पा ििए वृिारोपण त्रिमें पशु चराई नहीं करेगा। वृिों से अच्छदित श्रेत्र पूष चारा गाहजहाँ लागू है, में भेड़, बकरी चरािा व कषत होगा। विमण्डलाधिकारी द्वारा निः

शुल्क चराई और बबिा प्रनत बन्ि चराई हेतु संरक्षित वृक्षों के पहाड़ व चट्टािी िेत्र; जो ववशेरूप से अलग कये गये हों, केवल उसमें (भेड़ बकरी) चरासकते हैं। बरसात में, कंकरी भी एक स्ािपर भेड़ बकरी को चरािे के शलये, एक सप्ताह से अधिक ठहरििहीं दिया

(2) विमण्डलाधिकारी चराई अनुज्ञप्त प्राय, चराई शुल्क व सूली, पशुओं की चेक कंग को उसी प्रकार नियंत्रित करेगा जैसे आरक्षित वृक्षों के सम्बन्ि में होगी।

(3) िूर स्ािों के चराई सुविविधता प्राप्त पशुओं के शलये विमण्डलाधिकारी, वििेत्र में पशु शव वर निवृत्त करेगा।

(4) संरक्षित वृक्षों में चराई के शलये, राज्य शासि द्वारा, समय-समग्र पर जो शुल्क नििा षरत कया जायेगा, वही होगा।

8. संरक्षित वृक्षों से प्रवादत होिे वाली कंकरी िी में मछली मारि के अधिकार का ठेका िहीं दिया जावेगा।

परन्तु विसंरिक, िी के सुववदित भाग में, वहाँ के मूल निवासी मछली मारि वालों को अनुज्ञप्ते कर मछली मारि के अधिकार को नियंत्रित कर सकत है।

परन्तु िी में उपयुक्त तत्समय प्रजिािा स्ाि उपलब्िकरािे के बाि, तर्ा आस-पास के निवास शयों को मछली की वास्तवक आवश्यकता की पूनत ष के उपरान्त ही अनुज्ञप्त प्रािकी जायेगी।

(2) ऐसी अनुज्ञप्त प्रािकरि के शलये कोई शुल्क िहीं शलया जायेगा।

9. ग्राम पंचायत, ववकास-मण्डल या ग्रामीण के परामश ष से ववर्ष कंकरी या निवृत्त कर के विमण्डलाधिकारी, िी की यातालाब की भूशम को काशतकारी के शलये, िव्यक्त तयों को जो प्रायः उतत भूशम पर काशत कर तेरे हो काशतकारी के शलये वं टिकर सकेगा।

10. अधिनियम की िारा 26(1) और 76 के अन्तर्गत बािये गये नियम जो कजस प्रकार महा-कौशल त्रि में प्रभावशील है, वे उसी प्रकार यर्ा वश्यक पररवत षि सदत संरक्षित वृक्षों में प्रवृत्त होंगे जैसे आरक्षित वृक्षों के सम्बन्ि में प्रवृत्त होते हैं।

11. आरक्षित वृक्षों अशशष्ट में "विग्रामों" शशष्ट की स्ािा के शलये जो प्रकया िी है, उसी के अनुसार संरक्षित वृक्षों में भी "विग्राम" स्ावपत कये जासकते हैं।

12. वृि और इमारत लकड़ी की कटाई, धचराई, पररवत षि एवं हटािा तर्ा विउपज का संग्रहण, निमाषण और पररवत षि, घास का टा, पशु चरािा यर्ा शत यराज्य शासि द्वारा स्वीकृत काय ष करण योजाया काय ष आयोजि के प्राविािा अनुसार जो िनियमों से असं गति हो, नियंत्रित होगा।